न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 76 / 2011 निर्णय दिनांक :–30.10.19

उनवानी दावा :

सीता पुत्री श्रीलाल जाति बलाई निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0

– वादीया –

बनाम

1.काना पुत्र औंकार जाति बलाई निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2.~~धन्नी पुत्री औंकार जाति बलाई निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0~~
2/1. द्वारका पुत्र मदन जाति बलाई निवासी नासिरदा तहसील देवली हाल निवासी जुवाड़िया मोहल्ला, बलाइयों की हथाई, बाबा रामदेव के मंदिर के पास केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राज0
2/2. शंकर पुत्र मदन जाति बलाई निवासी नासिरदा तहसील देवली हाल निवासी जुवाड़िया मोहल्ला, बलाइयों की हथाई, बाबा रामदेव के मंदिर के पास केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राज0
2/3. मुकेश पुत्र मदन जाति बलाई निवासी नासिरदा तहसील देवली हाल निवासी जुवाड़िया मोहल्ला, बलाइयों की हथाई, बाबा रामदेव के मंदिर के पास केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राज0
2/4. राजेन्द्र पुत्र मदन जाति बलाई निवासी नासिरदा तहसील देवली हाल निवासी जुवाड़िया मोहल्ला, बलाइयों की हथाई, बाबा रामदेव के मंदिर के पास केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राज0
2/5. रेखा पुत्री मदन जाति बलाई निवासी नासिरदा तहसील देवली हाल निवासी जुवाड़िया मोहल्ला, बलाइयों की हथाई, बाबा रामदेव के मंदिर के पास केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राज0
2/6. सीमा पुत्री मदन पत्नी रमेश जाति बलाई निवासी नासिरदा हाल निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. शांति पुत्री औकार जाति बलाई निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
4.दुर्गालाल पुत्र औकार जाति बलाई निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
5.मांग्या पुत्र चन्द्रा जाति बलाई निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
6.रामकुवरी पुत्री जगन्नाथ जाति जाट निवासी थांवला तहसील देवली
7.रामा पुत्री जगन्नाथ जाति जाट निवासी थांवला तहसील देवली
8.तहसीलदार जी देवली जिला टोंक

– प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–
श्री बी.एस.सोलंकी
अधिवक्ता वादीगण

श्री एस.एन.धाकड़
प्रतिवादी संख्या 1, 2/1 से 2/6 व 3
एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
प्रतिवादीगण 3 ता 4

दावा उद्घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि यह कि वादीया एवं प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार के भाई बन्ध है वादीया स्व0 श्री लाल पुत्र राधाकिशन की एक मात्र पुत्री है एवं उत्तराधिकारी है। वादीया के पिता की मृत्यु हो चुकी है वादीया के पिता एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदार व कब्जे काश्त की

Scanned with CamScanner

आराजी खाता सं0 606 में ख0नं0 2132 रकबा 0.57 है0, ख0नं0 2133 रकबा 0.65 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.22 है0 में वादीया का एवं उसके पिता का हिस्सा 1/3 है इसी प्रकार खाता संख्या 607 में ख0नं0 393 रकबा 1.44 है0, ख0नं0 2128 रकबा 0.42 है0, ख0नं0 2150 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 2156 रकबा 0.06 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.96 है0, में भी वादीया एवं उसके पिता का हिस्सा 1/3 है, खाता संख्या 608 में ख0नं0 2148 रकबा 0.47 है0, ख0नं0 2154 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 2155 रकबा 0.25 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.00 है0 में भी वादीया का 1/3 हिस्सा तथा शेष जमीन में अन्य प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा है। उक्त जमीन ग्राम नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है। उपरोक्त आराजीयात में वादीया के पिता स्व0 श्रीलाल का 1/3 हिस्सा था किन्तु वादीया के पिता की मृत्यु हो जाने पर उसका फोती का नामान्तकरण भरते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीया जो एक मात्र स्व0 श्रीलाल की पुत्री व उत्तराधिकारी थी उसके नाम भर कर तस्दीक नही किया बल्कि प्रतिवादी नं0 1 ता 3 जो स्व0 ओकार के वारिसान है उनके नाम गलत रूप से भर कर तस्दीक कर दिया गया है तथा प्रतिवादी नं0 1 ता 3 को जो ओकार के लडके है ने वादीया के पिता स्व0 श्रीलाल के लडके –लडकी बना कर नामान्तकरण तस्दीक गलत रूप से कर दिया है। जिससे वादीया अपने पिता की सम्पति से वंचित हो गई तथा उसके पिता की सम्पति गलत रूप से प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के खाते में अंकित कर दी गई है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई गलती से वादीया अपने पिता की भूमि से वंचित हो गई है इस कारण उसे उक्त वाद अपने पिता स्व0 श्री लाल के आराजी हिस्सा 1/3 को वादीया के नाम उद्घोषित करवाया जाना आवश्यक हुआ है वादीया को वाद पत्र के चरण नं0 1 में अंकित सम्पूर्ण आराजीयात में से हिस्सा 1/3 की खातेदारी काश्तकार उद्घोषित की जावें एवं उदनुसार राजस्व रिकार्ड में भी वादीया का नाम बतोर खातेदार दर्ज किया जाकर उसका खाता अलग से कायम किया जावें एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का नाम खातेदारी से विलोपित किया जावे। राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीया के पिता के खातेदारी की भूमि को प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के नाम गलत रूप से अंकित कर देने के कारण प्रतिवादीगण वादीया को उसके पिता की भूमि को काश्त करने में मजाहमत पैदा करने लगे है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण की जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से तथा सर्वदा हमेशा–हमेशा के लिए पाबंद किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। यदि प्रतिवादीगण को पाबंद नही किया गया तो वे वादीया की एवं उसके पिता की भूमि से उसे जबरन बेदखल कर देगें जिससे वादीया को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से किया जाना संभव नही होगा।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 4, 5/1 व 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2/1 से 2/6 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण धाकड़ ने जवाब दावा पेश किया जिसके अनुसार वाद पत्र का चरण नं0 1 आंशिक रूप से स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं0 2, 3, 4 को गलत व अस्वीकार बताया तथा अधियाचना गलत व अस्वीकार किया और लिखा कि वादीया प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है।

पत्रावली में तनकियात कायम की गई।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 वादीया सीता पुत्री श्रीलाल बलाई निवासी नासिरदा, पी. डब्ल्यू–2 देवालाल पुत्र नारायण जाति माली, पी. डब्ल्यू–3 दुर्गालाल पुत्र जगन्नाथ जाति बलाई निवासी

Scanned with CamScanner

57 है0, ख0नं0 2133 रकबा 0.65 है0 एवं खाता संख्या 607 ख0नं0 393 रकबा 1.44 है0, ख0नं0 2128 रकबा 0.42 है0, ख0नं0 2150 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 2156 रकबा 0.06 है0 एवं खाता संख्या 608 ख0नं0 2148 रकबा 0.47 है0, ख0नं0 2154 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 2155 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है। जिसमें के पिता का 1/3 हिस्सा था और वादीया के पिता श्रीलाल की मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात में वादीया का 1/3 हिस्सा बनता है।

3. वादीया के पिता श्रीलाल की मृत्यु होने पर उसका फोती नामान्तकरण भरते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा श्रीलाल की पुत्री सीता जो एक मात्र स्व0 श्रीलाल की पुत्री व उत्तराधिकारी थी, उसके नाम नामान्तकरण भरकर तस्दीक नही किया बल्कि प्रतिवादीगण 1 ता 3 जो स्व0 औंकार के वारिसान है। उनके नाम गलत रूप से नामान्तकरण भरकर तस्दीक कर दिया प्रतिवादीगण 1 ता 3 जो औंकार के लडके है, ने वादीया के पिता स्व0 श्रीलाल के लडके–लडकी बनकर गलत रूप से नामान्तकरण अपने नाम भरवा लिया। औंकार वादीया के बडे दादा है। गलत रूप से श्रीलाल की आराजीयात का नामान्तकरण प्रतिवादीगण 1 ता 3 द्वारा अपने नाम भरवाने से वादीया अपने पिता की आराजीयात से वंचित हो गई। वादीया का उक्त आराजीयात में 1/3 हिस्सा बनता है।

4. प्रतिवादीगण 1 ता 3 औंकार की संताने है। श्रीलाल की नहीं है। श्रीलाल के मात्र 1 पुत्री सीता वादीया ही है। श्रीलाल की माता केसर देवी की मृत्यु होने पर मां केसर का हिस्सा बजरंगा, श्रीलाल व लाडा तीनों के ही लगाया गया था। अगर श्रीलाल के नाम का आदमी नहीं होता तो मां केसर के फोत होने पर नामान्तकरण में उसका नाम नही आता। बजरंगा व लाडा ने अपना हिस्सा सायरी देवी पत्नि पांचूलाल को बेचान कर दिया था। सायरी देवी प्रतिवादीया संख्या 6 है एवं प्रतिवादी संख्या 4 दुर्गालाल जगन्नाथ के गोद चला गया था। उक्त दोनों प्रतिवादी की उक्त वाद में एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी है।

5. उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा जवाब पेश किया गया है। जिसमें भी उक्त लोगों ने यह कही नही लिखा कि सीता श्रीलाल की पुत्री नही है एवं उक्त आराजीयात से श्रीलाल का कोई लेना–देना नहीं है एवं ना ही प्रतिवादी ने यह बताया कि हम औंकार की संताने नहीं होकर श्रीलाल की संताने है। इससे साफ जाहिर होता है कि सीता, श्रीलाल की एकमात्र पुत्री एवं उत्तराधिकारी है।

6. उक्त प्रकरण राजस्व केम्प नासिरदा में भी भेजा गया था। जहां पर भी मजमे आम में इस बात को तस्दीक करवाया गया था कि सीता ही श्रीलाल की पुत्री है एवं काना, धन्नी व शांति औंकार की संताने है, श्रीलाल की नही है। उक्त केम्प में वादीया एवं दुर्गालाल के बयान भी लेखबद्ध भी किये गये थे, जो पत्रावली में मौजूद है।

7. उक्त प्रकरण में वादीया ने अपने स्वयं के एवं गवाहों के बयानात भी न्यायालय में करवायें है। जिनसे भी साबित होता है कि वादीया, श्रीलाल की पुत्री है। प्रतिवादीगण 1 ता 3 श्रीलाल की संताने नही है। प्रतिवादी एवं उसके गवाहों के साक्ष्य भी न्यायालय में पेश हुई है। जिसमें प्रतिवादी ने एवं उसके गवाहों ने साक्ष्य के शपथ पत्र में यह बताया कि वादीया के पिता श्रीलाल ने अपने जीवनकाल में ही प्रतिवादी संख्या 6 के पति पांचू को दत्तक पुत्र मानकर गोद ले लिया था और उनका 12 वें का सामाजिक कार्यक्रम का समस्त खर्चा पांचू ने वहन किया था यह तथ्य बिल्कुल झुठे व मनगढ़न्त है। ऐसा कोई गोदनामा पत्रावली में पेश नही किया गया है। अगर श्रीलाल पांचू को गोद लेता

Scanned with CamScanner

तो उक्त आराजीयात पांचू के जाती. प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नही आती इसलिए उक्त साक्ष्य बिल्कुल झुठी व बनावटी है। उक्त गवाहों ने जिरह में भी स्वीकार किया है कि श्रीलाल के एकमात्र सीता ही थी।

8. प्रतिवादीगण 1 ता 3 ने गलत रूप से श्रीलाल के वारिस बनते हुए उक्त आराजीयात का नामान्तकरण अपने नाम खुलवाया है। उक्त आराजीयात के 1/3 हिस्से पर आज भी वादीया का कब्जा काश्त है। उक्त दावे के समर्थन में वादीया ने दस्तावेज भी पेश किये है जो शामिल पत्रावली है।

अधिवक्ता प्रतिवादी श्री सत्यनारायण धाकड़ ने अपनी बहस में कथन किया कि वाद पूर्णतया गलत तथ्यो पर पेश किया गया है । श्री लाल की मृत्यु से पहले प्रतिवादीगण श्रीलाल की सेवा सुश्रुषा करते थे और श्री लाल की जमीन पर कब्जाकाश्त करते थं। सीता श्रीलाल की पुत्री है और इसका पालन पोषण में प्रतिवादीगण के माता पिता ने किया है। श्री लाल की मृत्यु के बाद पांचू के पगड़ी बंधाई थी इसलिए गांव वालो से पूछकर जांच पड़ताल कर श्री लाल की जमीन का नामान्तकरण प्रतिवादीगण के नाम खोला गया था जो सही है।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत 2065–68 वाके ग्राम नासिरदा में वादीया का पिता स्व. श्रीलाल सहखातेदार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीया श्रीलाल की एकमात्र वारिस है। प्रतिवादी अधिवक्ता ने साक्ष्य और बहस के अलावा कोई ऐसा राजस्व रिकॉर्ड पेश नही किया है जिसमें प्रतिवादीगण स्व. श्रीलाल के वारिसान साबित हो। वादीया सीता को श्रीलाल की जायज वारिस है गवाहो व बयानो से साबित है। अतः वादीया के पिता एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदार व कब्जे काश्त की आराजी खाता सं0 606 में ख0नं0 2132 रकबा 0.57 है0, ख0नं0 2133 रकबा 0.65 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.22 है0, इसी प्रकार खाता संख्या 607 में ख0नं0 393 रकबा 1.44 है0, ख0नं0 2128 रकबा 0.42 है0, ख0नं0 2150 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 2156 रकबा 0.06 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.96 है0, खाता संख्या 608 में ख0नं0 2148 रकबा 0.47 है0, ख0नं0 2154 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 2155 रकबा 0.25 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.00 है0 में सीता पुत्री स्व. श्रीलाल को स्व. श्री लाल के हिस्से की आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी नं. 1 ता 3 या इनके कायम मुकाम को विलापित करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे सीता पुत्री श्रीलाल के हिस्से की आराजी के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत व बाधा उत्पन्न नहीं करे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with CamScanner